रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277288
CG-DL-E-19102026-277288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2026/आश्विन 27, 1948
No. 830]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2026/ASVINA 27, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 901(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 तथा अनुसूची 4 के साथ पठित धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 2026 में,—–

(क) नियम 281 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—–

"281क. अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) **के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना—**

अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती से प्ररूप सं. 173क में सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।";

(ख) नियम 173 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 173क

[आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) *देखें*]

सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज और पूंजी अभिलाभों पर छूट का दावा करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

भाग क : (मूल जानकारी)					
1.	**(i)**		नाम	*(टिप्पण 1 देखें)*	
	(ii)		निवास का देश		
	(iii)		निवास /मुख्यालय के देश में पता	*(टिप्पण 2 देखें)*	
	(iv)		स्थायी खाता संख्या (पैन)		
	(v)		निवास के देश में कर पहचान संख्या (टीआईएन)	*(टिप्पण 4 देखें)*	
	(vi)		एफपीआई/एफआईआई के रूप में सेबी पंजीकरण संख्या	*(टिप्पण 4 देखें)*	
	(vii)		वह कर वर्ष, जिसके लिए छूट का दावा किया जाता है		
	(viii)		ईमेल पता :		
	(ix)		संपर्क संख्या	*देश का कोड*	*संख्या*
भाग ख : (सरकारी प्रतिभूतियों पर दावा की गई छूट प्राप्त आय के ब्यौरे)					
2	**क**	(i)	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएनआईएन)		
		(ii)	सरकारी प्रतिभूतियों का प्रकार *(एक चुनें)*	क. कोषागार बिल ख. नियत दर बंधपत्र ग. परिवर्तनशील बंधपत्र घ. राज्य विकास ऋण (एसडीएल) ङ. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
		(iii)	तत्त्व		
		(iv)	1 अप्रैल को प्रतिभूतियों का कुल मूल्य	*(टिप्पण 3 देखें)*	
		(v)	वर्ष के दौरान क्रय की गई प्रतिभूतियों का मूल्य	*(टिप्पण 3 देखें)*	
		(vi)	वर्ष के दौरान विक्रय की गई प्रतिभूतियों का विक्रय प्रतिफल	*(टिप्पण 3 देखें)*	
		(vii)	31 मार्च को प्रतिभूतियों का कुल मूल्य	*(टिप्पण 3 देखें)*	

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2"></td><td>(viii)</td><td>कर वर्ष के दौरान प्राप्त/उदभूत ब्याज की सकल
रकम</td><td>(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>कर वर्ष के दौरान अर्जित पूंजी अभिलाभ</td><td>(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>ख</td><td colspan="3">दोहराएँ, यदि अपेक्षित हों</td></tr>
<tr><td colspan="5">घोषणा
मैं, यह घोषित करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरे सवोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) के उपबंधों के अनुसार है ।

तारीख :
स्थान :
हस्ताक्षर
प्रधान अधिकारी का नाम :</td></tr>
</table>

टिप्पण :

1. पूरा नाम दिया जाएगा
2. पते में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :
   - i. देश/विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र,
   - ii. फ़्लैट/द्वार/भवन,
   - iii. मार्ग/सड़क/ब्लॉक/सेक्टर,
   - iv. पिन/जिप कोड,
   - v. नगर/क्षेत्र/मोहल्ला,
   - vi. ज़िला,
   - vii. राज्य
3. रकम ₹ में भरें, यदि अन्यथा उपबंधित न हो ।
4. 1(v) और (vi) में ब्यौरे अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक (बीआईएस) के लिए वैकल्पिक हैं ।"।

[सं. 137/2026 / फा. सं. 370142/35/2026-टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव

टिप्पण : *आय-कर* नियम, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ), तारीख 20 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 871(अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2026 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 901(E).— In exercise of the powers conferred by section 533 read with section 11 and Schedule IV of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 2026, namely: —

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Income-tax Rules, 2026, —

(a) after rule 281, the following rule shall be inserted, namely: —

"281A. Information to be furnished under Schedule IV (Table: Sl. Nos. 13D and 13E).-

For the purposes of claiming exemption under Schedule IV (Table: SI. Nos. 13D and 13E), the assessee shall be required to furnish information in Form No. 173A.";

(b) after Form 173, the following Form shall be inserted, namely: —

"FORM NO. 173A

[*See* Schedule IV (Table: SI. Nos. 13D and 13E) of the Income-tax Act, 2025]

Information to be furnished for claiming exemption on interest and capital gains from Government securities

PART A: (Basic Information)					
1.	**(i)**		Name	*(Refer Note 1)*	
	(ii)		Country of Residence		
	(iii)		Address in the Country of Residence/ Headquarters	*(Refer Note 2)*	
	(iv)		Permanent Account Number (PAN)		
	(v)		Tax Identification Number (TIN) in country of residence	*(Refer Note 4)*	
	(vi)		SEBI Registration Number as FPI/FII	*(Refer Note 4)*	
	(vii)		Tax Year for which the exemption is claimed		
	(viii)		Email Id:		
	(ix)		Contact Number	*Country code*	*Number*
PART B: (Details of exempt income claimed on government securities)					
2	**A**	**(i)**	International Securities Identification Number (ISIN)		
		(ii)	Type of Government securities *(Select one)*	a. Treasury Bills b. Fixed Rate bonds c. Floating Rate bonds *d.* State Development Loans (SDLs) *e.* Others (please specify)	
		(iii)	Tenor		
		(iv)	Total value of securities as on 1st April	*(Refer Note 3)*	

		(v)	Value of securities purchased during the year	*(Refer Note 3)*
		(vi)	Sale consideration of securities sold during the year	*(Refer Note 3)*
		(vii)	Total value of securities as on 31st March	*(Refer Note 3)*
		(viii)	Gross amount of interest received/accrued during the tax year	*(Refer Note 3)*
		(ix)	Capital gains earned during the tax year	*(Refer Note 3)*
	B	*Repeat if required*		

Declaration

I certify that all the above information is true to the best of my knowledge and belief and is in accordance with the provisions of Schedule IV (Table: SI. Nos. 13D and 13E) of the Income-tax Act, 2025(30 of 2025).

Date:

Place:

Signature

Name of the Principal officer:

Notes:

1. The name shall be provided in full.

2. The address shall include

i. Country/Specified territory,
ii. Flat/Door/Building,
iii. Road/Street/ Block/Sector,
iv. PIN/ZIP Code,
v. Town/Area/locality,
vi. District,
vii. State

3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

4. The details in 1(v) and (vi) is optional for Bank for International Settlements (BIS).".

[No. 137/2026 /F. No. 370142/35/2026-TPL]

KRITIKA JAIN, Under Secy.

Note: The Income-tax Rules, 2026 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 198(E), dated the 20th March, 2026 and last amended *vide* notification G.S.R. 871(E), dated the 8th October, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA